प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय
Ministry of Overseas Indian Affairs
www.moia.gov.in

MAHATMA GANDHI PRAVASI SURAKSHA YOJANA

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय
महात्मा गाँधी प्रवासी सुरक्षा योजना की घोषणा करता है

महात्मा गाँधी प्रवासी सुरक्षा योजना (एम.जी.पी.एस.वाई.) प्रवासी भारतीस कार्य मंत्रालय (एम.ओ.आई.ए.) द्वारा प्रवासी भारतीय श्रमिकों के लिए घोषित एक विशेष स्वैच्छिक योजना है।

विदेश में कार्य करते समय, यह योजना भारत वापस आकर पुनर्वास करने और वृद्धावस्था के लिए आय के कुछ भाग को नियमित रूप से बचाने में सहायक होगी। एम.ओ.आई.ए. अपने बजट से पेंशन और पुनर्वास में योगदान देगी। एम.ओ.आई.ए. सभी एम.जी.पी.एस. वाई. उपभोक्ताओं को जीवन बीमा भी प्रदान करेगी।

इस योजना से जुड़ने के इच्छुक श्रमिक को संबंधित आवेदन पत्र और पहचान प्रमाण पत्र अवश्य प्रस्तुत करने होंगे।

पात्रता

1 ई.सी.आर. पासपोर्ट और ई.सी.आर. देश का एक वैध कार्य आदेश या रोजगार अनुबंध
2 आयु 18 से 50 वर्ष के बीच हो
3 अपने नाम का बैंक खाता हो

लाभ

इस योजना से जुड़ने वाले प्रवासी श्रमिक को 3 महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त होंगे:

1 एन.पी.एस.–लाइट से पेंशन का लाभ
2 यू.टी.आई.–ए.एम.सी. से वापसी और पुनर्वास (आर एंड आर) बचत लाभ
3 एल.आई.सी. से मुफ्त जीवन बीमा लाभ

योजना के सहयोगी संस्थान

NPS Lite — Aapki Pension Aapke Haath
UTI Mutual Fund
LIC — भारतीय जीवन बीमा निगम — LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA
बैंक ऑफ़ बड़ौदा — Bank of Baroda

उपभोक्ता	न्यूनतम बचत (प्रति उपभोक्ता प्रति वर्ष)	एम.ओ.आई.ए. का योगदान (प्रति उपभोक्ता प्रति वर्ष)	कुल बचत (प्रति उपभोक्ता प्रति वर्ष)
महिला श्रमिक	₹5,000	₹2,000+900	₹7,900
पुरूष श्रमिक	₹5,000	₹1,000+900	₹6,900

एम.ओ.आई.ए से यह लाभ अधिकतम *5* वर्षों की अवधि या प्रवासी रोजगार की अवधि – जो भी कम हो, के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।

MGPSY लाभों के बारे में अधिक जानकारी या योजना से जुड़ने के लिए कृपया बैंक ऑफ बड़ौदा की अपनी करीबी शाखा या इंडियन वर्कर्स रिसोर्स सेंटर के UAE कार्यालय में संपर्क करें (3:00PM - 7:00PM कार्य दिवसों पर)।

निःशुल्क हेल्प लाईनः 1800 113 090(भारत), 80046342(UAE)

महात्मा गाँधी प्रवासी सुरक्षा योजना से आज ही जुड़ें!

महत्वपूर्णः इस योजना से जुड़ने से पहले या जुड़ने के बाद कृप्या किसी भी व्यक्ति को नगद भुगतान **न** करें।

© 2012, प्रवासी भारतीस कार्य मंत्रालय